(6)

पत्रांक-जी0एस0टी0/ 2023-24/ 362 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 ।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक- 09, अगस्त, 2023

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कृपया दिनांक-05-07-2023 को वाणिज्य कर जोन अयोध्या द्वारा किये गये UPSRTC एवं Dhaba/Restaurant विषयक प्रस्तुतिकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से UPSRTC द्वारा अनुबन्धित ढाबों एवं रेस्त्रां के द्वारा किये जा रहे करापवंचन का तथ्य प्रकाश में लाया गया था। उक्त PPT को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।

यह निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये गये उक्त प्रस्तुतिकरण का विस्तृत अध्ययन करते हुए अपने संबंधित जोन के क्षेत्राधिकार में अभियान चलाते हुए निम्न बिन्दुओं पर जॉच के पश्चात कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को अवगत कराने का कष्ट करें-

a. UPSRTC के साथ अनुबन्धित Dhaba/Restaurant के पंजीयन की स्थिति (यह भी ज्ञात किया जाये कि ढाबे का पंजीयन रोडवेज के साथ अनुबन्धित व्यक्ति के नाम पर है या किसी अन्य के नाम पर),
b. पंजीयन योग्य सीमा के अन्तर्गत आने पर भी अपंजीकृत के रुप में संचालित Dhaba/Restaurant पर पंजीयन, कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की स्थिति,
c. Dhaba/Restaurant के साथ किये गये करार (Agreement) पर UPSRTC को प्राप्त होने वाली धनराशि पर उनके द्वारा देय कर एवं जमा कर की स्थिति,
d. उपरोक्त सभी दशाओं में कार्यवाही योग्य पाये गये प्रकरणों पर कर निर्धारण एवं जमा की स्थिति ।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 महोदया के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है ।

(हरिलाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक-उक्त ।

संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।